

Court No. - 51

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 1781 of 2023

Petitioner :- Prince Singh

Respondent :- State Of U.P. And 12 Others

Counsel for Petitioner :- Ashwani Kumar Srivastava, Neeraj Kumar Srivastava

Counsel for Respondent :- C.S.C., Bhupendra Kumar Tripathi, Diwakar Tiwari, Gyanendra Singh

Hon'ble Chandra Kumar Rai, J.

1. Heard Mr. Neeraj Kumar Srivastava, learned counsel for the petitioner, Mr. Diwakar Tiwari & Mr. Gyanendra Singh, learned counsel appearing for private respondents, Mr. Abhishek Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Mr. Bhupendra Kumar Tripathi, learned counsel for the respondent- Gram Sabha.

2. The instant public interest litigation has been filed for mandamus directing respondent nos.3 & 4 to take appropriate legal action for removal of encroachment made by private respondent nos.6 to 13 over Arazi No.2075 Kha, Rakba- 2.1720 hectare and Arazi No.2075G, Rakba- 2.6430 hectare, situated at Village- Kantit, Tahsil- Sadar, District- Mirzapur as well as for mandamus directing respondent nos.3 & 4 to decide the application / representation dated 25.4.2023 in accordance with law.

3. Counsel for the petitioner submitted that the private respondent are in illegal possession of public utility land, as such, immediate action be taken for the removal of encroachment from the public utility land.

4. Mr. Diwakar Tiwari & Mr. Gyanendra Singh, learned counsel appearing for private respondents submitted that the lease was executed in respect to the plot in dispute in the year 1972. They further submitted that no proceeding for cancellation of lease has been initiated, as such, there is no question for removal of encroachment over the plot in dispute. They further submitted that the instant public interest litigation has been filed with mala-fide intention. They further placed the report dated 10.4.2023 submitted in the matter which has been annexed as Annexure No.3 to the writ petition in order to demonstrate that there is no encroachment over the plot in question.

5. Mr. Abhishek Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel on the basis of instruction dated 10.7.2023 submitted that the facts mentioned in the instant public interest litigation are not correct, as such, the instant public interest litigation is liable to be dismissed. He further placed the instruction sent by the Sub-Divisional Officer, Mirzapur dated 10.7.2023.

6. I have considered the argument advanced by learned counsel for the parties and perused the record.

7. In order to appreciate the controversy involved in the matter, perusal of the report dated 10.4.2023, which has been annexed as Annexure No.3 to the instant public interest litigation will be relevant, which is as under:

महोदय,

आवेदक प्रिन्स सिंह मो०नं०-8115166783 के प्रार्थना पत्र जो मा० मुख्यमंत्री महोदय उ०प्र० सरकार लखनऊ को सम्बोधित हैं, पर अंकित अपने आदेश का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा आराजी स्थित ग्राम बरकछाकलॉ की गाटा नं०-2075 ख रकबा 19 बीघा के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि बीहड़ व गौचर की भूमि है, जिसे सरकार व पद का दुरुपयोग करके अवैध रूप से कब्जा किया गया हैं। प्रार्थना पत्र का जाँच किया जिसकी आख्या निम्नवत है:-

गाटा सं०-2075 का चकबन्दी पूर्व का गाटा सं०-948 था। गाटा सं०-948 के सम्बन्ध में आधार वर्ष खसरा 1359 फसली का अवलोकन किया जिसमें गाटा सं०-948/1 का रकबा 2 बीघा, गाटा सं०-948/2 का रकबा 15 बिस्वा, गाटा सं०-918/3 का रकबा 15 बिस्वा, गाटा सं०-948/4 का रकबा 15 बिस्वा, गाटा सं०-948/5 का रकबा 2 बीघा, गाटा सं०-948/6 का रकबा 4 बीघा, 15 बिस्वा, कुल 6 गाटा योग रकबा 11 बीघा कास्तकारों के नाम अंकित हैं। गाटा सं०-948/7 का रकबा 10 बीघा, 19 बिस्वा बीहड़ के रूप में अंकित हैं। तत्पश्चात ग्राम बरकछाकलॉ की खतौनी सन् 1372 से 1374 फसली के खाता सं०-438 पर गाटा सं०-948/7 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा बीहड़ खाते में दर्ज हैं। सन् 1375 से सन् 1376 फसली की खतौनी में बीहड़ का पृष्ठ खतौनी से गायब है। अगली खतौनी 1377 से 1379 फसली के खाता सं०-418 पर गाटा सं०-948/7 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा खातेदार रामअनुज सिंह पुत्र गनेश सिंह व अरुण कुमार सिंह पुत्र सूर्यप्रताप सिंह, निवासी ग्राम शाहपुर चौसा का नाम अंकित हैं, जिसके विवरण के कालम में एस०डी०ओ० 1376 फसली हस्ताक्षर दयाशंकर लेखपाल इसके आगे पुरानी खतौनी खाता सं०-425 अंकित हैं। जो लाल स्याही से दर्ज है, जिससे स्वतः सिद्ध होता है कि 1375 से लगायत 1376 फसली के खतौनी के खाता सं०-425 में एस०डी०ओ० के आदेश का अंकन रहा होगा, लेकिन 1375 से 1376 फसली के खाता सं०-425 जीर्ण-शीर्ण होकर फट गया है, जो खतौनी में नहीं हैं। तब से गाटा सं०-948/7 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा इनके पूर्वजों के नाम चला आ रहा है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 के पुरानी गाटा सं०-948 मि० रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा नया नम्बर 2075 क तथा पुराना गाटा सं०-948 मि० रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा 16 धूर का नया नम्बर 2075 ख व पुराना नं०-948 मि० रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा नया नम्बर 2075 ग अंकित हैं, जिसमें पिछले बन्दोबस्त की भूमि बीहड़ श्रेणी के खाते में दर्ज हैं। इसके बाद आकार पत्र 45 में पुरानी गाटा सं०-948 से नया गाटा सं०-2075 क रकबा 0.484 हे०, 2075 ख रकबा 2.172 हे० व 2075 ग रकबा 2.643 हे० कास्तकारों के नाम से संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। चूँकि जो शिकायत किया गया है कि 2075 ख पर अपने प्रभाव से नाम दर्ज करा लिया गया हैं। शिकायत निराधार एवं असत्य हैं क्योंकि सन् 1972 से पहले आवंटन पत्रावली बनाये जाने का प्राविधान नहीं था, बल्कि भूमि प्रबन्ध समिति के ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा किया जाता था, जिसमें पट्टे के स्थान पर 57 ख की रसीद दी जाती थी। उसी रसीद के आधार पर परगना अधिकारी द्वारा नामान्तरण का आदेश पारित किया जाता था। चूँकि परगना अधिकारी के आदेश का विवरण संचित खतौनी 1377 से 1379 फसली के खाता सं०-418 के विवरण के कालम में अंकित है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित इन्द्राज प्रथम दृष्टया सत्य व प्रमाणित प्रतीत होता हैं। आवेदक द्वारा गोचर भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में कथन किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण भूमि बीहड़ श्रेणी 5 की भूमि हैं, जिसका आवंटन किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा अपना निजी विद्यालय आर०बी०ए० शिक्षा निकेतन शाहपुरचौसा जिस भवन में संचालित हो रहा है। वह माता प्रसाद-माता भीख, निवासी शाहपुरचौसा का है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त विद्यालय गाटा सं०-666 व 731 में स्थित है जो बृजभूषण सिंह वगैरह के नाम माल कागजात खतौनी में दर्ज है। साक्ष्य हेतु खतौनी साथ में संलग्न है। विद्यालय के सम्बन्ध में माता प्रसाद-माता भीख के प्रबन्धक द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गयी है। शिकायत कर्ता द्वारा यह भी शिकायत में कहा गया है कि

आर०बी०एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर चौसा में सिंचाई विभाग के नहर के जमीन में कब्जा करके बनाया गया है। शिकायत के क्रम जाँच की गयी, गाटा सं०-665 नहर के खाते में अंकित है। राजस्व सजरे में नहर की चौड़ाई 20 मीटर हैं, पैमाइश करने पर ज्ञात हुआ कि नहर की चौड़ाई विद्यालय के पास 20 मीटर से अधिक हैं। नहर पर कोई भी विद्यालय का अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

अस्तु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

संलग्नक:-

- (1)- 1359 खसरा।
 - (2)- 1372 से 1374 फसली खतौनी।
 - (3)- 1377 से 1379 फसली खतौनी।
 - (4)- जो०च०आकार पत्र 41
 - (5)- जो०च०आकार पत्र 45
 - (6)- गाटा सं०-666 व 731 की खतौनी ग्राम शाहपुर चौसा, मीरजापुर।
- महोदय,

अशोक ह० अपठनीय प्रश्नगत प्रकरण की जाँच रा०नि० वरकछाकलां व

ल०क्षे. वरकछाकलाँ रा०नि० रा०नि० शहर से करायी गयी। उपरोक्तानुसार

10.4.2023 10.4.2023 आख्या सेवा में प्रेषित है।

ह०	अपठनीय	ह०	अपठनीय	Teh.(S)
सहमत				10.4.2023
10.4.223				
SDM(S)				

8. Considering the instruction dated 10.7.2023/ report dated 10.4.2023 submitted by the revenue authorities as well as argument advanced by learned counsel for the parties, it appears that the lease has been executed in favour of respondent nos.6 to 13 in the year 1972 and they are accordingly, recorded as well as in possession over the same on the basis of lease, as such, unless the lease is cancelled in accordance with law no order can be passed for removal of encroachment over the same.

9. Considering the entire facts and circumstances, no interference is required in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India on the basis of instant public interest litigation.

10. The instant public interest litigation is **dismissed**.

Order Date :- 17.10.2023

Rameez